फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

सीताराम बनाम जयप्रकाश वगैरा

मुकदमा नम्बर :– / वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	24/10/25	प. वादी उप. तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट प्राप्त हो कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 27/10/25 को पेश हो।
		प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 29/10/25 को पेश हो।
	27/10/25	
	29/10/25	प. वादी उप. बहस रिपोर्ट पर सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/10/25 को पेश हो
	31/10/25	प. वादी उप. बहस पर मनन किया गया। रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद ... के दुरुस्ती करने की हद तक स्वीकार करने के स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि के पक्षकारों खातेदारों को एवं आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने पर नया वाद लाने की छूट के साथ ...

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं जयपुर

फर्द अहकाम

ायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

सीताराम कालोत बनाम जयप्रकाश वगैरा

ा नम्बर :– 84/2025 –913

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	का अनुतोष स्वीकार किया जाता है डिक्री पृथक से मिसल जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार जारी हो। पत्रावली बाद तामील होकर दर्ज रजिस्टर हो तथा दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–88 / 2025

उनवान

1. सीताराम सामोता पुत्र श्री कैलाशचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र देवकरण गवारिया, जाति जाट, निवासी बृजलालपुरा संतोष नगर, गोपालपुरा बाईपास, सांगानेर रोड के पास जयपुर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार महोदय, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 89बी एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–31.10.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अभि0नि0 क्षैत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में नया खाता संख्या 91 के आराजी खसरा नम्बर 746 रकबा 0.0592 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.1292 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 751 रकबा 0.0607 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.0666 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.2209 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 757 रकबा 0.0359 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.2442 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.1275 हैक्टेयर, कुल किता 8 का कुल रकबा 0.9442 हैक्टेयर स्थित है उक्त विवादित आराजीयात के गत खसरा नम्बर 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1375, 1376 कुल किता 07 का कुल रकबा 2.25 हैक्टेयर हैं। उक्त भूमि ही वाद में विवादग्रस्त आराजीयात है जिसे वाद में विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजीयात के सम्पूर्ण खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त विवादित आराजीयात सम्पूर्ण को वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मूल्यवान प्रतिफल अदा कर खरीद की गई है। जिस विक्रय पत्र का पंजीयान दिनांक 05.02.2025 को उपपंजीयक चौमूँ, जिला जयपुर के यहां पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 865 में पृष्ठ संख्या 202503059101075 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 3236 के पृष्ठ संख्या 525 से 533 पर चस्पा किया गया है। वादी द्वारा उक्त विवादित आराजीयात सम्पूर्ण को खरीद करने के उपरान्त, खरीद के दिवस से ही काबिज होकर, निरन्तर, निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा विवादित आराजीयात का वर्तमान में भी उपयोग उपभोग कर रहा है। अभी हाल ही तृतीय सेटलमेन्ट की कार्यवाही होने से उक्त विवादित आराजीयात के हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिये जाने के कारण वादी के नाम विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण नही खोला जा सका जिस कारण वर्तमान में उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ख्या 1 के नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है लेकिन मौके पर वादी पूर्ण भूमि पर काबिज है। दौराने सेटलमेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा गत राजस्व रिकॉर्ड से हाल राजस्व रिकॉर्ड कायम करते समय विवादित आराजीयात जिसका पूर्व में रकबा 2.25 हैक्टेयर रहा था, को कम करते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में 0.9442 हैक्टेयर दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अकंन कर दिया गया तथा गत राजस्व नक्शे से हाल राजस्व नक्शा कायम करते समय कम रकबे के अनुसार ही हाल राजस्व नक्शा बनाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गई है, जिसका हक व अधिकार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को कभी भी नही रहा है तथा वादी अपनी खरीदशुदा भूमि 2.25 हैक्टेयर पर गत राजस्व नक्शे अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क कर विवादित आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाने बाबत निवेदन करता रहा जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शीघ्र ही राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने बाबत आश्वासन दिया गया लेकिन बावजूद तलब व तकाजा के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त नही करवाया गया। दिनांक 02.05.2025 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क कर विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने के लिए निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा कहा कि मैने भूमि का बैचान कर दिया है मेरा इससे कोई संबंध कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसके बाद वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के कार्यालय में जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने व विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने का निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने व विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने से साफ इंकार कर दिया जिस कारण वादी को उक्त वाद पत्र पेश करना आश्वयक हुआ है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व नक्शा दुरूस्ती का डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजीयात सम्पूर्ण का विक्रय पत्र जिसका पंजीयन दिनांक 05.02.2025 को उपपंजीयक चौमूँ, जिला जयपुर के यहां पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 865 में पृष्ठ संख्या 202503059101075 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 3236 के पृष्ठ संख्या 525 से 533 पर चस्पा किया गया है के आधार पर सम्पूर्ण खातेदारी की घोषणा वादी के नाम से की जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जावें तथा विवादित आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड में कुल रकबा 0.9442 हैक्टेयर के स्थान पर गत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 2.25 हैक्टेयर तथा हाल राजस्व नक्शा गत रकबे 2.25 हैक्टेयर के अनुसार बनाया जावें अर्थात गत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड तथा गत राजस्व नक्शे अनुसार हाल राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 विवादित भूमि में अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर किसी दीगर व्यक्ति, संस्था आदि को बैचान, हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही वादी को बेदखल करें तथा प्रतिवादीगण रिकॉर्ड में फेरबदल नहीं करें तथा प्रतिवादीगण किसी भी विक्रय पत्र या अन्य हस्तान्तरण पत्र को तस्दीक नहीं करें, उक्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

मुकदमा सं0–88/2025
उनवान–सीताराम बनाम जयप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक–31.10.2025

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ना तो कोई जवाब दावा पेश किया, ना तो कोई दस्तावेज और ना ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। प्रकरण में तहसीलदार चौमूँ से मौके एवं रिकॉर्ड की तथ्यात्मकर जांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/25/8208 दिनांक 16.10.2025 के प्राप्त हुई, जो शामील पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार चौमूँ, जिला जयपुर की रिपोर्ट ग्राम बरवाडा की जमाबन्दी की जमाबन्दी सम्वत् 2081 के खाता संख्या 91 के मुताबिक प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 746 रकबा 0.0592 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.1292 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 751 रकबा 0.0607 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.0666 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.2209 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 757 रकबा 0.0359 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.2442 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.1275 हैक्टेयर किस्म बारानी, कुल किता 8 का कुल रकबा 0.9442 हैक्टेयर, की खातेदारी जयप्रकाश पुत्र देवकरण गवारिया जाति जाट हि0 पूर्ण सा0 बृजलालपुरा सन्तोष नगर, गोपालपुरा बाईपास सांगानेर रोड के पास जयपुर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। हाल सर्वे–रिसर्वे सम्वत् 2081 के दौरान वर्तमान खसरा नम्बरान का मिलान क्षैत्रफल का अवलोकन किया गया। वर्तमान खसरा नम्बरान व गत खसरा नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल इस प्रकार है।

वर्तमान खसरा नम्बर	रकबा	गत खसरा नम्बर	रकबा
746	0.0592	1368	0.3800
747	0.1292	1366	0.1900
751	0.0607	1367	0.1800
754	0.0666	1370	0.1400
755	0.2209	1369	0.4400
757	0.0359	1369	0.4400
777	0.2442	1376	0.5600
778	0.1275	1375	0.3600
कुल किता 08	0.9442	किता 08	

गत खसरा नम्बर 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1375, 1376 के राजस्व नक्शा का अवलोकन किया गया मुताबिक नक्शा के खसरा नम्बरान का क्षैत्रफल वर्तमान खसरा नम्बर 746, 747, 751, 754, 755, 757, 777, 778, के क्षैत्रफल के लगभग बराबर ही है एवं प्रश्नगत भूमि के वर्तमान व गत खसरा नक्शा का मिलान करने पर लगभग सभी सीमा मिलान रकती है। यह है कि वर्तमान खसरा नम्बरान् व गत खसरा नम्बरान के कुल रकबा का मिलान करने पर जमाबन्दी अनुसार 1.3058 है0 का अन्तर है। मौके पर खसरा नम्बर 746 व 757 में बाजरा की फसल काश्त की गयी है खसरा नम्बर 747 के आंशिक भाग में पौण्ड व शैष पडत एवं शेष खसरा नम्बर 751, 754, 755, 757, 777, 778 में बाजरा की फसल की काश्त की गयी है।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार चौमूँ जिला जयपुर की रिपोर्ट का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को प्रयाप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी ना तो जवाब दावा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ही कोई दस्तावेज और ना ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। उपरोक्त नानुसार एवं न्यायालय अभिमत में वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती करने की हद तक स्वीकार किया जाना एवं विवादित भूमि के पडोसी खातेदारो को एवं आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार नही बनाने जाने पर नया वाद लाने की छूट के साथ नक्शा दुरूस्ती का अनुतोष खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजीयात नया खाता संख्या 91 के आराजी खसरा नम्बर 746 रकबा 0.0592 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.1292 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 751 रकबा 0.0607 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.0666 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.2209 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 757 रकबा 0.0359 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.2442 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.1275 हैक्टेयर, कुल किता 8 का कुल रकबा 0.9442 हैक्टेयर के गत खसरा नम्बर 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1375, 1376 कुल किता 07 का कुल रकबा 2.25 हैक्टेयर सम्पूर्ण का विक्रय पत्र जिसका पंजीयन दिनांक 05.02.2025 को उपपंजीयक चौमूँ, जिला जयपुर के यहां पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 865 में पृष्ठ संख्या 202503059101075 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 3236 के पृष्ठ संख्या 525 से 533 पर चस्पा किया गया है के आधार पर वादी को सम्पूर्ण खातेदारी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषणा किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हो तथा विवादित भूमि के पडोसी खातेदारो को एवं आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार नही बनाने जाने पर नया वाद लाने की छूट के साथ नक्शा दुरूस्ती का अनुतोष खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फा0 ट्रे0 / न्यायालय) चौमूँ

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–88/2025

उनवान

1. सीताराम सामोता पुत्र श्री कैलाशचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र देवकरण गवारिया, जाति जाट, निवासी बृजलालपुरा संतोष नगर, गोपालपुरा बाईपास, सांगानेर रोड के पास जयपुर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार महोदय, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 89बी एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–88/2025

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजीयात नया खाता संख्या 91 के आराजी खसरा नम्बर 746 रकबा 0.0592 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.1292 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 751 रकबा 0.0607 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.0666 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.2209 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 757 रकबा 0.0359 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.2442 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.1275 हैक्टेयर, कुल किता 8 का कुल रकबा 0.9442 हैक्टेयर के गत खसरा नम्बर 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1375, 1376 कुल किता 07 का कुल रकबा 2.25 हैक्टेयर सम्पूर्ण का विक्रय पत्र जिसका पंजीयन दिनांक 05.02.2025 को उपपंजीयक चौमूँ, जिला जयपुर के यहां पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 865 में पृष्ठ संख्या 202503059101075 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 3236 के पृष्ठ संख्या 525 से 533 पर चस्पा किया गया है के आधार पर वादी को सम्पूर्ण खातेदारी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषणा किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हो तथा विवादित भूमि के पडोसी खातेदारो को एवं आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार नही बनाने जाने पर नया वाद लाने की छूट के साथ नक्शा दुरूस्ती का अनुतोष खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0—88 / 2025
उनवान—सीताराम बनाम जयप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक—31.10.2025

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 31.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
सहायक कलेक्टर (फास्ट
ओहदा.........चौमूं,जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner